

उत्तर प्रदेश शासन  
राजस्व अनुभाग-1  
संख्या-12/506/एक-1-2017-5(14)/2017  
लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई 2017

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित लोक प्रयोजन की भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं:-

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा सं०	क्षेत्रफल (हे० में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमेठी	मुसाफिरखाना	जगदीशपुर	हसनपुर तिवारी	27	0.0030	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु।
2					44	0.0030	
3					46	0.0606	
4					28	0.0640	
5					29	0.0012	
6					39	0.0150	
7					56	0.0066	
8					191	0.0260	
9					490	0.0074	
10					55	0.0148	
11					57	0.0352	
12					79	0.0276	
13					86	0.0028	
14					124	0.0160	
15					126	0.0012	
16					494	0.0204	
17					495	0.0380	
18					173	0.0168	
19					182	0.0296	
20					75	0.0020	

21					198	0.0012
22					34	0.0144
23					37ख	0.0110
24					43	0.0012
25					60	0.0410
26					139	0.1282
				योग	कुल 26 गाटा	0.5882 हे०

2. यह भी आदेश दिये जाते हैं कि कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार-पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

3. शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शाहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत मूल्य का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" के नाम जमा कराया जायेगा।

4. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- चकमार्ग, रास्ता, नाला व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन विचार किया जा सकता है कि चकमार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली व नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे साथ ही पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरुद्ध नहीं करेंगे। उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा शासनादेशों के आलोक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित कुल 26 गाटा रकबा 0.5882 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) हेतु

किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनांक 03.06.2016 तथा शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनांक 03.06.2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)

प्रमुख सचिव।

संख्या-506(1)/एक-1-2017-5(15)/2017 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)

उप सचिव।